जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 6.05.19**

थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 5 53/19 धारा 3 07/120B भादवि की सनसनीखेज घटना का अनावरण-

दिनांक 11.03.19 को समय करीब 1 2.50 बजे इरशाद नि. ग्राम रहीसपुर थाना कविनगर गा0बाद को 02 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति जान से मारने की नियत से गोली मारकर फरार हो गये थे घायल इरसाद को स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल यशोदा अस्पताल मे उपचार हेतु भर्ती कराया गया था जिससे मौ0 इरसाद की जान को बचाया जा सका इस सम्बन्ध मे इरसाद के पुत्र मौ0 नाजिम द्वारा थाना कविनगर पर मु0अ0स0 553/19 धारा 307/120बी भादवि बनाम दो बाईक सवार व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

उक्त सनसनी खेज घटना का अनावरण करते हुए थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 05.05.19 को सै0 23 संजयनगर से एक अभि0 नदीम खान पुत्र राज मौहम्मद खान नि. 127 बी अबुलफजल एन्कलेव थाना शाहीनबाग दिल्ली को गिरफ्तार किया है जिसकी निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुआ है। तथा इसका दूसरा साथी आमिर नि. अबुल फजल एन्कलेव दिल्ली तिहाड जेल मे बन्द है तथा घटना मे प्रयोग की गई मोटर साईकिल भी आमिर ने किसी को दे रखी है।

घटना का कारण –गिरफ्तार अभि0 नदीम ने बताया कि मै और मेरे दोस्त आमिर ने दिनांक 11.03.19 को दिल्ली से पल्सर मोटर साईकिल द्वारा ग्राम रईसपुर गा0बाद आये तथा अपने घर के सामने बैठे इरसाद को गोली मार दी क्योकि इरसाद ने अपने भाई फुरकान जिसकी पूर्व मे हत्या हो गई थी की लडकी की शादी आमिर से करायी थी और आमिर को दहेज मे सीटी स्टार मोटर साईकिल दी थी जबकि आमिर की मांग पल्सर या अपाची की थी इसी बात को लेकर आमिर ने गोली मारी थी और मै बाईक चला रहा था इस समय आमिर दिल्ली की तिहाड जेल मे हत्या के प्रयास मे जेल मे बन्द है जो दिनांक 24.03.19 को शाहीनबाग थाने से एक व्यक्ति को गोली मारने व चाकू मारने के आरोप के सम्बन्ध मे थाना शाहीनबाग पर अभियोग पंजीकृत है और इरसाद के घर के सामने बाहर बैठे होने की सूचना रहीसपुर के ही सोहराब पुत्र याकूब अली नि.रटौल थाना खेकडा बागपत ने दी थी जो आमिर का मामा है और ग्राम रहीसपुर मे ही रहता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. नदीम पुत्र राज मौहम्मद नि. एन 127 बी अबुल फजल एन्कलेव जामियानगर थाना शाहीनबाग दिल्ली

बरामदगी का विवरण –

01 तमंचा .315 बोर मय कारतूस घटना मे प्रयुक्त

थाना साहिबाबाद व STF की सयुक्त टीम द्वारा 50000/- रुपये का ईनामिया/वाछिंत अभियुक्त सहित 03 गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह बरामद- थाना ईकोटेक तृतीय जनपद- गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-105/19 धारा 307 भादवि में वाछिंत / 50000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र तेजपाल उर्फ हटटी नि0 ग्राम खडखडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व उसके 02 साथियों को थाना साहिबाबाद पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.05.19 को समय 6.30 बजे करेहडा हिण्डन एयर फोर्स के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की हैं। जिनके कब्जे से 01 अदद रिवाल्वर, 01 देशी पिस्टल मय 04 जिन्दा कारतूस, 01 तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। उपरोक्त

ईनामिया अभियुक्त हरेन्द्र पर पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा (पत्रांक-सीआर- **116(गौ0बु0नगर-3)2019/11318** दिनांक **02.05.2019)** 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरणः–

1. हरेन्द्र पुत्र तेजपाल उर्फ हटटी नि0 ग्राम खडखडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
2. अशोक पुत्र ज्ञानचन्द्र नि0 बम्बावड थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
3. रोहित पुत्र श्रीचन्द्र नि0 ग्राम सिकरानी थाना लोनी व हाल पता बलराम नगर 60 फुटा रोड निकट त्यागी नर्सिंग होम थाना लोनी गा0बाद।

बरामदगी का विवरणः–

1. 01 अदद रिवाल्वर
2. 01 देशी पिस्टल मय 04 जिन्दा कारतूस
3. 01 तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

एक महिला अभियुक्ता सहित 04 वाछिंत अभियुक्तगण गिरफ्तार - थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 6/5/19 को मुखबिर खास की सूचना पर समय करीब 08.30 बजे सरधना कट फ्लाई ओवर के नीचे हाईवे मेरठ से थाना मसूरी के मु0अ0सं0 360/19 धारा 389 भादवि में वांछित चल रहे अभि0 (1) सलमान पुत्र रमजानी (2) नौशाद पुत्र रमजानी (3) शहजाद पुत्र रमजानी समस्त निवासीगण मदापुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड व एक नफर अभियुक्ता (4) महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है।

अभि0 द्वारा अपराध करने का तरीका- अभियुक्तगण द्वारा बलैकमेल कर झूठे मुकदमे मे फसाने के नाम पर रंगदारी मांगने जैसे गम्भीर अपराध करना।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार,कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, 4800/–रूपये नगद, 01 मोबाईल, 01 चाकू बरामद– दिनांक 06.05.2019 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों को भिन्न–भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 चाकू, 02 किलो 100 ग्राम गांजा, 01 मो0फोन0, 4800 रूपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 56/19 धारा 380 भादवि व 168/19 धारा 457/380 भादवि थाना साहिबाबाद गा0बाद से बरामद हुआ हैं।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरणः–

1. अनिल पुत्र दीपचन्द्र नि0 मदर डेयरी के पास मैन श्यामपार्क थाना सा0बाद गा0बाद। (चोर)
2. विशाल उर्फ पंकज पुत्र प्रेमनाथ नि0 जी–178 ग्राउण्ड फ्लोर लाजपतनगर सा0बाद गा0बाद। (चोर)
3. राजा पुत्र बिरजू नि. जाटवो की चौपाल के पास कुटी के सामने ग्राम पसौंडा सा0बाद गा0बाद।(अपहरण)
4. बृजेश कुमार पुत्र लखीराम जाटव नि0 पाल रोड अर्थला सा0बाद गा0बाद। (वारंटी)

5. योगेश पुत्र दयाशंकर नि0 म0न0 73 गली नं0 2 शमशाद गार्डन सा0बाद गा0बाद। (एक चाकू)
6. रमेश राय पुत्र राजेश्वर राय नि0 सी–4 श्रीरामनगर सा0बाद गा0बाद। (मु0अ0सं0 979/19 धारा 376 भादवि)